FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...ज अदालत ... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ... मुकाम ...

हनुमानराम ... बनाम ... खेंगारराम

किस्म मुकदमा ... रिवाद 88, 188 Rt Act ... नं. 209 ... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6/1/2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/01/2020	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री नरपत प्रसाद द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया व वादी साक्ष्य के रूप में वादी वकील द्वारा PW-1 व PW-2 तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई, प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा व वादीगण की उक्त भूमि पेटे होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	– हनुमानराम खेंगाराम जोगाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:37:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 209 / 2019

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

1. हनुमानराम पुत्र खंगाराराम
2. चेतनराम पुत्र खंगाराराम
3. भैराराम पुत्र खंगाराराम
4. देवाराम पुत्र खंगाराराम
   जातियान्–जाट, निवासीयान्–बायतु भोपजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. खंगाराराम पुत्र राहींगाराम जाति–जाट, निवासी–बायतु भोपजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– **दिनांक** 6/1/2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा बायतु भोपजी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1220 / 524, 1230 / 535 रकबा क्रमशः 12.00, 07.00 बीघा, मौजा रामासरिया पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 372 रकबा 40.02 बीघा व मौजा बेरड़ो की ढाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 899 / 520 रकबा 18.00 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज राहींगाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का [illegible] गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:37:56 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा राहींगाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण राहींगाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बायतु भोपजी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1220/524, 1230/535 रकबा क्रमशः 12.00, 07.00 बीघा, मौजा रामासरिया पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 372 रकबा 40.02 बीघा व मौजा बेरड़ो की ढाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 899/520 रकबा 18.00 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:37:56 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण

1. हनुमानराम पुत्र खंगाराराम
2. चेतनराम पुत्र खंगाराराम
3. भैराराम पुत्र खंगाराराम
4. देवाराम पुत्र खंगाराराम

जातियान्–जाट, निवासीयान्–बायतु भोपजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादी

1. खंगाराराम पुत्र राहींगाराम

जाति–जाट, निवासी–बायतु भोपजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–209/19. **निर्णय दिनांक :–**

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6.1.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बायतु भोपजी पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1220/254, 1230/535 रकबा क्रमशः 12.00, 07.00 बीघा, मौजा रामासरिया पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 372 रकबा 40.02 बीघा व मौजा बेरड़ो की ढाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 899/520 रकबा 18.00 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 6/1/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:37:56 IST
Reason: SelfAttested